

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
डबल्यू.पी. (सी) संख्या 4118/2017

सलीम मियां

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. अहमद हुसैन
2. मोसो. बानो
3. अब्दुल गनी
4. बीबी सकुरन
5. बीबी बटुलन
6. बीबी रुबिया
7. बीबी जुबेदा खातून

..... उत्तरदाता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिए
उत्तरदाताओं के लिए

कोई नहीं
-----:-----

07/06. 01. 2021 वर्तमान रिट याचिका आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।

वर्तमान रिट याचिका मुंसिफ, कोडरमा द्वारा टाइटल सूट नंबर 29/2004 (रिट याचिका के संलग्नक -3) में पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत निम्न अदालत ने वादी की ओर से दायर संशोधन याचिका दिनांक 03.04.2017 को अवैध रूप से खारिज कर दिया है।

सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-II, मुंसिफ (I/C), कोडरमा द्वारा पत्र सं. 29 दिनांक 13.11.2020 प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन पर ऐसा प्रतीत होता है कि टाइटल सूट नंबर 29/ 2004 पहले ही 30.04.2019 को स- सघर्ष खारिज कर दिया गया है।

यह ध्यान में रखते हुए कि विचाराधीन टाइटल सूट को संबंधित ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया है, रिट याचिका में आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी के अनुसार निपटाया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)

मनीष